6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in

सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

SU/REG/Systems/F-2/26/2018/Vol-I/1370

Dated: 05/12/2019

TEESTA INDUS LIBRARY SIKKIM UNIVERSITY
Receipt No. 3001
Date 11/12/19

Office Order – 402 /2019

The Sikkim University Information Technology (IT) Resources and Internet Facility Usage Policy document is hereby attached in Annexure for strict and full compliance by all students, officers, faculty, staff of the University and all visiting users who use aforementioned resources and facilities provided by the University.

Tej Kishan Kaul
(T.K. Kaul)
Registrar

कुलसचिव
Registrar
सिक्किम विश्वविद्यालय
Sikkim University

Encl: Annexure

Distribution:

1) PS to VC for kind information of the Vice-Chancellor
2) PS to Registrar
3) PS to Finance Officer
4) PS to Controller of Examination
5) Librarian
6) All Deans of School of Studies
7) Dean Students' Welfare
8) All HoD(s) / In-Charge(s)
9) Officers of the University
10) All Faculty and Staff via email
11) All Associations via email
12) All notice boards and prominent locations of the University
13) Systems Management – for uploading in official website and Wi-Fi login page.
14) Office Copy
15) Guard file

6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in

सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

6th Mile, Samdur,Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

(ANNEXURE)

SIKKIM UNIVERSITY INFORMATION TECHNOLOGY (IT) RESOURCES AND INTERNET FACILITY USAGE POLICY

Definition of Sikkim University IT resources and Internet facility: It comprises of all computer hardware, software, network, storage, email facility, internet access facility or any other electronic devices used for accessing digital data.

The following clauses are applicable and binding to all the users who are using Sikkim University IT resources and Internet facility:

1. Users are prohibited from creating, viewing, accessing, attempting to access, storing, transmitting, receiving or displaying unlawful and malicious material either electronically or in hard copy using the University IT resources and internet facility.

2. The University IT resources and Internet facility may not be used directly or indirectly by a user for the download, creation, manipulation, transmission or storage of:

   i. any violent, indecent or lewd images, video, text or any other data, or any data capable of being resolved into lewd, violent or indecent contents.
   ii. materials which are unlawful, derogatory, intimidating and discriminatory in nature.
   iii. unsolicited emails containing malicious contents.
   iv. material which can be used to assist in any work of harassment, bullying and/or victimisation of a member of the University or a third party.
   v. material which promotes discrimination on the basis of gender, religion or belief, disability, race, age, sexual orientation or any other form of discrimination in general.
   vi. material with the intent to deceive or which is likely to deceive others.
   vii. material which supports or endorses any unlawful act.
   viii. material that infringes the intellectual property rights or privacy rights of a third party, or that is in breach of a legal duty owed to another party.
   ix. material that brings the University into disrepute.

3. The University IT resources and Internet facility may not be used for any form of commercial activities.

4. The University IT resources and Internet facility may not be used for any other activities that are unlawful in nature and violates government and University norms, practices, rules and regulations.

In the event of a breach of any of the above clause(s), University will not be held liable under any circumstances and the concerned user whose action has led to the breach will be solely liable for punitive actions which includes investigation by any government agency and legal action. University also reserve it's right to take disciplinary action against the person.

Therefore, all users of the University IT resources and Internet facility are requested to adhere to the above clauses.

Tej Krishan Kaul
(T.K. Kaul)
Registrar

कुलसचिव
Registrar
सिक्किम विश्वविद्यालय
Sikkim University

6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in

सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

SU/REG/Systems/F-2/26/2018/Vol-I/1370 दिनांक : 05/12/2019

कार्यालय आदेश – 402 /2019

सिक्किम विश्वविद्यालय के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संसाधन और इंटरनेट सुविधा की प्रयोग नीति से संबन्धित दस्तावेजों को एतदद्वारा विश्वविद्यालय के सभी छात्रों, अधिकारियों, संकायों, कर्मचारियों और सभी विजिटिंग प्रयोक्ताओं, जो विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए उपर उल्लिखित संसाधनों और सुविधाओं का उपयोग करते हैं, के सख्त और पूर्ण अनुपालन हेतु अनुलग्नक में संलग्न किया जाता है।

तेज कृष्णा कौल
(टी.के.कौल)
कुलसचिव

कुलसचिव
Registrar
सिक्किम विश्वविद्यालय
Sikkim University

संलग्न: अनुलग्नक

वितरण :

1. कुलपति के सूचनार्थ कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. वित्त अधिकारी के निजी सचिव
4. परीक्षा नियंत्रक के निजी सचिव
5. पुस्तकालयाध्यक्ष
6. सभी अध्ययन विद्यापीठ के डीन
7. छात्र कल्याण डीन
8. सभी विभागों के अध्यक्ष/प्रभारी
9. विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी
10. सभी संकाय और कर्मचारी, ईमेल द्वारा
11. सभी संगठन, ईमेल द्वारा
12. सभी सूचना पट और विशविद्यालय के प्रमुख स्थान
13. सिस्टम एनालिस्ट - आधिकारिक वैबसाइट और वाईफाई लॉगइन पेज पर अपलोड करने हेतु
14. कार्यालय प्रति
15. सुरक्षा फ़ाइल

6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in

सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

(अनुलग्नक)

सिक्किम विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संसाधनों एवं इंटरनेट (आईटी) सुविधा उपयोग नीति

सिक्किम विश्वविद्यालय की आईटी संसाधनों और इंटरनेट सुविधा की परिभाषा इसमें डिजिटल डेटा :तक पहुँच के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, संग्रह, ईमेल सुविधा, इंटरनेट सुविधा की पहुँच या किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक आईटी संसाधन शामिल हैं।

सिक्किम विश्वविद्यालय आईटी संसाधनों और इंटरनेट सुविधा का उपयोग करे रहे है सभी उपयोगकर्ताओं के लिए विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शर्तें लागू और बाध्य हैं :

.1 उपयोगकर्ताओं को गैरकानूनी और दुर्भावनापूर्ण सामग्रियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या हार्ड कॉपी में विश्वविद्यालय के आईटी संसाधनों और इंटरनेट सुविधा का उपयोग करते हुए बनाना, देखना, पहुँच स्थापित करना, पहुँचने का प्रयास, भंडारण, संचारण, प्राप्त करना या प्रदर्शित करना निषिद्ध है।

.2 विश्वविद्यालय आईटी संसाधन और इंटरनेट सुविधा का उपयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगकर्ता द्वारा निम्नलिखितों के डाउनलोड, निर्माण, धोखेबाजी, प्रसारण या भंडारण के लिए नहीं किया जा सकता है:

क. जिसमे कोई भी हिंसक, अशोभनीय या भद्दा चित्र, वीडियो, पाठ या कोई भी डेटा, या जिसमे कोई अशिष्ट डेटा, भड़काव, अश्लील सामग्री हो।

ख. ऐसी सामग्री जो गैरकानूनी, अपमानजनक, डराने और भेदभाव पैदा करने की प्रकृति की हो।

ग. अनापेक्षित दुर्भावनापूर्ण सामग्री वाले ईमेल।

घ. वह सामग्री जिसका उपयोग विश्वविद्यालय या किसी तीसरे पक्ष के सदस्य के उत्पीड़न, डरानाधमकाना या उत्पीड़न के किसी भी कार्य में - सहायता के लिएकिया जा सकता है।

ङ. वह सामग्री जो लिंग, धर्म या विश्वास, विकलांगता, वर्ग, आयु, यौन अभिविन्यास या सामान्य रूप में भेदभाव के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देती है।

च. छल करने के इरादे से या जो दूसरों को धोखा देने की सामग्री हो।

छ. वह सामग्री जो किसी गैरकानूनी कृत्य का समर्थन या प्रोत्साहन करती हो।

ज. वह सामग्री जो तीसरे पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों या गोपनीयता के अधिकारों का उल्लंघन करती है, या जो किसी अन्य पार्टी के कानूनी अधिकारों के उल्लंघन करती हो।

झ. सामग्री जो विश्वविद्यालय को बदनाम करती हो।

.3 विश्वविद्यालय के आईटी संसाधनों और इंटरनेट सुविधाओं का उपयोग किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएँ।

.4 विश्वविद्यालय आईटी संसाधन और इंटरनेट सुविधा का उपयोग किसी भी अन्य गतिविधि के लिए नहीं किया जाएँ, जो गैरकानूनी हो तथा सरकार एवं विश्वविद्यालय के मानदंडों, प्रथाओं, नियमों और विनियमों का उल्लंघन करता हो।

उपर्युक्त किसी भी धारा के उल्लंघन की स्थिति में, विश्वविद्यालय किसी भी स्थिति में उत्तरदायी नहीं होगा और संबंधित उपयोगकर्ता, जिसकी गतिविधियों से धाराओं का उल्लंघन हुआ है, सरकारी एजेंसी द्वारा जांच और कानूनी कार्रवाई जैसे दंडात्मक कार्रवाई के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। विश्वविद्यालय के पास उस व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

इसलिए, विश्वविद्यालय के सभी आईटी संसाधन और इंटरनेट सुविधाओं के उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे उपरोक्त धाराओं का पालन करें।

तेज कृष्ण कौल
(टी.के.कौल)
कुलसचिव
कुलसचिव
Registrar
सिक्किम विश्वविद्यालय
Sikkim University